प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 49 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 03 – 10 दिसम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

# दूसरी एफआईआर रद्द होने के बाद धूमल फिर होंगे प्रदेश भाजपा की केन्द्रिय धूरी

**शिमला/शैल।** एचपीसीए और अनुराग ठाकुर के खिलाफ धर्मशाला राजकीय महाविद्यालय के आवासीय परिसर को गिराने तथा उसकी 720 वर्ग मीटर भूमि पर नाजायज़ कब्जा करने को लेकर दर्ज हुई एफआईआर को भी सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यह फैसला 6-12-2018 को आया है। स्मरणीय है कि जब एचपीसीए के खिलाफ दर्ज हुई पहली एफआईआर को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया था तब फैसले में इस दूसरी एफआईआर को भी साथ रद्द कर दिये जाने का उल्लेख फैसले में आ गया था और आम आदमी में चला गया था कि दोनों ही एफआईआर एक साथ ही रद्द हो गयी है। इस पर वीरभद्र सिंह के वकील ने एतराज जताया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपनी भूल मानते हुए स्पष्ट किया था कि दूसरी एफआईआर रद्द नहीं हुई है। यह दूसरी एफआईआर अब छः दिसम्बर को रद्द हुई है। स्मरणीय है कि वीरभद्र के शासनकाल में विजिलैन्स का सारा समय और ध्यान एचपीसीए और अनुराग ठाकुर तथा प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ ही मामले खड़े करने में ही गुजरा है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी इन मामलों को जायज ठहराने के लिये वीरभद्र सिंह के वकील ने बहुत प्रयास किया जो कि सफल नही हो सका। इस पृष्ठभूमि में यह मामले और इन पर आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि इन मामलों को वापिस लेने की बात तो जयराम सरकार करती रही है लेकिन व्यवहारिक तौर पर सीआरपीसी की धारा 321 के तहत औपचारिक आवेदन नही कर पायी थी।

विधानसभा चुनावों के दौरान जब भाजपा हाईकमान को यह लगा था कि प्रदेश का नेता घोषित किये बिना चुनावों में जीत की सुनिश्चितता तय नही हो सकती तब प्रेम कुमार धूमल को भावी मुख्यमन्त्री घोषित किया गया था। नेता घोषित होने के बाद धूमल ने किस कदर पूरे प्रदेश में प्रचार अभियान को नया अंजाम दिया और इस घोषणा पर प्रदेश भाजपा के किन नेताओं की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष क्या प्रतिक्रिया रही है इसे राजनीतिक विश्लेषक अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस और विशेषकर वीरभद्र सिंह, धूमल को किस तरह देखते हैं इसका अन्दाजा भी इसी से लगाया जा सकता है कि जब दूसरी एफआईआर के रद्द होने के उल्लेख को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूल माना था तब इस पर वीरभद्र सिंह की प्रतिक्रिया कितनी व्यंग्यात्मक आई थी। धूमल और अनुराग के खिलाफ इन एफआईआर को बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा रहा था। यह चर्चा आम थी कि इस एफआईआर के माध्यम से अनुराग को आगे हमीरपुर से प्रत्याशी बनने से रोका जायेगा और इस तरह से धूमल परिवार को आसानी से प्रदेश की सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया जायेगा। जयराम सरकार बनने के बाद जिस तरह से जंजैहली में एसडीएम कार्यालय को लेकर लोगों में विवाद खड़ा हुआ और धरना प्रदर्शनों से लेकर उच्च न्यायालय तक मामला पहुंच गया था तब कुछ हल्कों में इस प्रकरण में धूमल की अपरोक्ष भूमिका को लेकर कई चर्चाएं उठ खड़ी हुई थी। इन चर्चाओं ने किस तरह का राजनीतिक आकार ले लिया था इसका खुलासा इसी से हो जाता है कि धूमल को उस समय यहां तक कहना पड़ गया था कि सरकार चाहे तो उनकी भूमिका की सीआईडी से जांच करवा ली जाये। जयराम और धूमल के राजनीतिक रिश्तों का इससे पूरा खुलासा हो जाता है। यह सही है कि अगर धूमल जीत गये होते तो वही मुख्यमन्त्री होते। इसी के साथ यह भी उतना ही सच है कि आज जयराम मुख्यमन्त्री हैं और वह भी अब आसानी से इस पद को छोड़ना नही चाहेंगे। लेकिन इस सबके साथ यह भी उतना ही बड़ा सच है कि पार्टी में जो लोग इस समय जयराम के ही केन्द्र या राज्य विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। वह भी स्वभाविक रूप से यह पद पाने की ईच्छा पाले हुए हैं ऐसे में जयराम कुर्सी को कांग्रेस की बजाये भाजपा के अपनों से ही सबसे पहले खतरा है। अब लोकसभा चुनाव होने हैं और यह चुनाव जयराम सरकार की पहली राजनीतिक परीक्षा सिद्ध होगें। एफआईआर रद्द होने के बाद अब अनुराग के पुनः उम्मीदवार होने को लेकर कोई संशय नहीं रह गया है बल्कि इस एफआईआर का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना धूमल, अनुराग और भाजपा के हाथ कांग्रेस विशेषकर वीरभद्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार लग जाता है। इससे कांग्रेस के खिलाफ शीर्ष अदालत का फतवा बन जाता है कि किस तरह राजनीतिक विरोधीयों के खिलाफ आपराधिक मामले बनाये जा रहे थे। इस मामले को जयराम और भाजपा कितनी राजनीतिक हवा दे पाते हैं इसका पता आने वाले दिनों मे लग जायेगा। वैसे इस पर अभी तक भाजपा की चुप्पी रहस्य बनी हुई है।

यही नहीं पिछले दिनों राज कुमार राजेन्द्र सिंह को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है वह वीरभद्र की पूरी राजनीतिक कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर जाता है क्योंकि राजेन्द्र सिंह के पूरे अदालती आचरण को शीर्ष अदालत ने फाड़ की संज्ञा दी है लेकिन इस अहम मुद्दे पर भी जयराम और उनकी भाजपा अभी तक चुप है। इस चुप्पी को लेकर जयराम और वीरभद्र के राजनीतिक रिश्तों को विश्लेष्क अलग ही अर्थ दे रहे हैं। इस परिदृश्य में जयराम सरकार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कैसे और किन मुद्दों पर घेरेगी यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अभी तक भाजपा अपने ही आरोप पत्र पर कोई परिणाम सामने नहीं ला पायी है बल्कि कई मुद्दों पर तो बड़े बाबूओं ने जयराम से ऐसे भी फैसले करवा दिये हैं जो उनकी पूरी चार्जशीट की ही हवा निकाल देते हैं। भाजपा का यह आरोप पत्र उसके अपने ही गले की फांस सिद्ध हो सकता है। उपर से वीरभद्र की ''ना'' के बावजूद कांग्रेस जयराम सरकार के खिलाफ एक सशक्त आरोपपत्र ला रही है। ऐसे में जयराम या उनकी टीम का कोई भी सदस्य ऐसा नही लग रहा है कि जो वीरभद्र को पूरी ताकत से घेर सकेगा। हिमाचल के वर्तमान परिदृश्य में कांग्रेस एक बार फिर वीरभद्र के आगे बौनी पड़ गयी है। ऐसे में भाजपा में एक बार फिर यह हालात पैदा हो गये हैं कि यदि लोस चुनावों की बागडोर धूमल नही संभालते हैं तो भाजपा की स्थिति बहुत नाजुक हो जायेगी।

# आर एण्ड पी रूल्ज़ बदले बिना आऊटसोर्स पर नियुक्तियां कैसे

**शिमला/शैल।** जयराम सरकार भी बड़े पैमाने पर आऊटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। विधानसभा के इस सत्र में यह मुद्दा सदन में उठने की पूरी संभावना है। यह आऊटसोर्स भर्ती मामला तब चर्चा में आया जब राज्य बिजली बोर्ड ने पहले से ही आऊट सोर्स के माध्यम से काम कर रहे 2500 कर्मचारियों के लिये सितम्बर /अक्तूबर में यह प्रक्रिया फिर से शुरू की। बोर्ड को यह प्रक्रिया फिर से इसलिये शुरू करनी पड़ी क्योंकि जिस कंपनी के साथ आऊट सोर्स का पुराना अनुबन्ध चल रहा था वह 31 अक्तूबर को समाप्त हो रहा था। पहले से ही आऊट सोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों को आगे भी जारी रखने तथा कुछ और नये भर्ती करने के लिये प्रक्रिया शुरू की गयी। नयी कंपनीयों से रेट मंगवा लिये गये थे जिनमें एक ने 370 रूपये प्रतिव्यक्ति तथा कुछ ने एक पैसा और दस पैसा प्रतिव्यक्ति कमीशन मांगा था। पहली कंपनी एक हजार रूपये प्रति व्यक्ति ले रही थी। कमीशन की दरो में इतना अन्तर होने के कारण इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और पुरानी कंपनी का अनुबन्ध ही 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। इस आऊट सोर्स के लिये जो कमीशन के रेट आये हैं उसी से स्पष्ट हो जाता है कि बड़े पैमाने पर यह भर्तीयां किये जाने की योजना चल रही है। तभी एक पैसा और दस पैसा तक रेट दिया गया है। बोर्ड की यह प्रक्रिया कब पूरी होती है और पहले से ही काम कर रहे कर्मचारियों का भविष्य क्या होता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।

स्मरणीय है कि वीरभद्र शासन के दौरान भी 35000 कर्मचारियों को आऊट सोर्स के माध्यम से रखे जाने का मुद्दा उछला था उस समय इन कर्मचारियों ने इन्हें नियमित किये जाने की मांग की थी। इसके लिये आन्दोलन तक हुआ था। वीरभद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिये प्रशासन पर पूरा दवाब भी डाला था। लेकिन अधिकारियों ने इसे एकदम नियम विरोधी कहकर रोक दिया था। बल्कि उसके बाद 11 जुलाई 2017 को इनके लिये एक नीति जारी की थी। इसमें कहा गया था कि इन कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ही सारी सुविधायें मिलेंगी।

कर्मचारियों की भर्ती के लिये नियुक्ति एवम् पदोन्नति नियमों के तहत एक प्रक्रिया पूरी तरह परिभाषित है। इसके तहत किसी भी कार्यालयों में एक रिक्त स्थान सृजित किया जाता है। उसके लिये वांच्छित योग्यता तय की जाती है। फिर इसे भर्ती के लिये विज्ञापित किया जाता है। इसकी सूचना रोजगार कार्यालयों को भी दी जाती है। आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं फिर साक्षात्कार यह लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है। जहां किसी नियुक्ति में इस प्रक्रिया की अनुपालना नही होती है उसे अवैध करार दे दिया जाता है स्मरणीय है कि 1993 से 1998 के बीच भी हजारों की संख्या में चिट्टों पर भर्तीयां हुई थी और इस जांच के लिये दो कमेटीयां गठित की गई थी। इन कमेटीयों ने अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की थी लेकिन जब तत्कालीन सरकार ने इन रिर्पोटों के बाद भी इसमें कोई कारवाई नहीं की थी तब यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा था। उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लेकर यह कहा था कि " It is not disputed that sevral illegal appointments were in the various departments of the Govt." और इस पर एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिये थे। अभी सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों पर आधारित पीठ ने भी 30 नवम्बर

शेष पृष्ठ 5 पर.....

# कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्वर्ण पदक से सम्मानित मेधावी विद्यार्थियों में हैं सभी लड़कियां

**शिमला/शैल।** राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 379 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने विश्वविद्यालय के आठ मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इन आठ मेधावी विद्यार्थियों में सभी लड़कियां है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर नवोदित कृषि वैज्ञानिकों से पर्यावरण, जल, मृदा मामलों से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ अनुसंधान करने तथा ऐसी तकनीक विकसित करने को कहा जो प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्यों में पुनः अभिविन्यास की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि मिट्टी के कार्बन तत्वों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और वैज्ञानिकों को नए तरीकों के साथ मृदा उर्वरकता बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से सकारात्मक परिणाम आएंगे और प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

उन्होंने प्रदेश के बागवानी तथा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान कार्य करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्थानीय बीजों पर अनुसंधान से बीज उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी और देश में बीमारी मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों से स्थानीय बीजों की किस्मों को पुनः तैयार करने को भी कहा।

उन्होंने कहा कि कृषि तथा शिक्षा पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है और इन दोनों की देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में सीखने वाले कौशल को अन्यों के साथ सांझा किया जाना चाहिए ताकि ज्ञान की निरन्तरता की प्रक्रिया से मानवता लाभान्वित हो सकें।

सांसद शांता कुमार ने कहा कि जब सिक्किम में जैविक खेती सफल हो सकती है तो हिमाचल प्रदेश में भी यह संभव है। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल तथा प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने चुने हुए क्षेत्रों व व्यवसाय में और अधिक कठिन परिश्रम करने को कहा।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक सरयाल ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि विश्वविद्यालय के आठ विद्यार्थी कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा में वैज्ञानिकों के तौर पर चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने गेहूं उच्च परिशुद्धता प्रजनन के लिए तकनीक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दामिनी (बीएससी ऑनर्स), पल्लवी चौहान (बीवीएससी), दिव्या (बीएससी ऑनर्स) चंदन रवि बीएससी (एचएम), विभूति शर्मा बीटेक (खाद्य विज्ञान), दीक्षा (बीएससी) अंजली (पीजी) तथा उर्वि शर्मा (पीएचडी) ने अपने संबंधित विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए।

महाविद्यालय के पूर्व छात्र मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एवं एचपीपीएससी के अध्यक्ष डी.वी.एस. राणा, शेर-ए-कश्मीर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार शर्मा तथा कृषि लागत और कीमत आयोग के अध्यक्ष प्रो. विजय पाल शर्मा को भी राज्यपाल ने सम्मानित किया।

# रसायनों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने की जरूरत: राज्यपाल

**शिमला/शैल।** राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चण्डीगढ़ में कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिक मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों की मात्रा कृषि उत्पादों के मूल्य का निर्धारण करती है। आयात करने वाले देशों द्वारा अधिक मात्रा में कीटनाशकों की मौजूदगी आयात को अस्वीकार करने का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि रसायनों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने की जरूरत है जो केवल प्राकृतिक खेती के माध्यम से संभव है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है यदि वह कृषि में उपयोग होने वाली अनावश्यक सामग्री का कम प्रयोग कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं। यह कार्बन सामग्री के साथ मिट्टी को समृद्ध कर फसलों में प्राकृतिक पोषक तत्वों को उत्पन्न करेगा।

उन्होंने कहा कि तकनीक अच्छी है परन्तु इसकी पहुंच किसानों तक बिना की बोझ के होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की सामग्री का प्रयोग कर कुरूक्षेत्र में किसानों से धान के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है।

पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री राजिन्द्र सिंह ने किसानों के लिए किफायती प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया।

# 38 तहसीलों और उप-तहसीलों में बन्दरों को किया गया पीड़क जन्तु घोषित

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वन स्वीकृतियां प्राप्त करने में सुगमता के दृष्टिगत केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के बजाय क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत लाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री पर्यावरण, केन्द्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केन्द्रीय मंत्रालय के दल की अगुवाई वन महानिदेशक और विशेष सचिव सिद्धांत दास ने की।

जय राम ठाकुर ने राज्य सरकार के पास निहित एक हेक्टेयर तक एफसीए मंजूरी के लिए अनुमोदन देने की सीमा बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस सीमा को दस हेक्टेयर तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि विकास की गति तेज हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बन्दरों की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में बन्दरों को लगभग 38 तहसीलों और उप-तहसीलों में पीड़क जन्तु घोषित किया गया है परन्तु राज्य के अधिकतर हिस्सों में बन्दरों की समस्या जारी है।

उन्होंने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 53 और तहसीलों व उप-तहसीलों में बन्दरों को पीड़क जन्तु घोषित करने का आग्रह किया ताकि किसानों को बन्दरों के उत्पात से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्रालय से यह भी आग्रह किया कि रज्जू मार्गों की तारों के नीचे आने वाली भूमि को एफसीए से छूट दी जाए ताकि पर्यटकों और राज्य के लोगों को सुविधा मिल सके।

# मुख्यमंत्री ने किया हवाई अड्डे निर्माण स्थल का हवाई सर्वेक्षण

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम सहित मण्डी जिला के बल्ह में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण स्थल के लिए हवाई सर्वेक्षण किया।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व टीम ने हवाई जहाज उतारने की संभावना तथा रास्ते में आने वाली संभावित बाधाओं का विश्लेषण किया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगी, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जनजातीय जिलों लाहौल-स्पिति तथा किन्नौर से चीन के साथ सीमाओं को सांझा करता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुण्डू, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि सुभाष तथा रोहित सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

**HIMACHAL PRADESH**
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
**NOTICE INVITING TENDERS**

The Executive Engineer, Karchham Division, H.P.P.W.D. Bhabanagar District Kinnaur Pin-172115 invite Item rate tenders in sealed cover on the prescribed forms from the eligible Contractors on 07.01.2019 and shall be opened on the same day at 11:00 Hrs. in the presence of intending contractors or their authorized representatives who wish to be present at the time.

**Work No (.1)** Routine maintenance of Electric cable way to village Gharshu (SH:- Providing and fixing 1 No. Kirloskar Electric motor 10 hp,960 RPM) Estimated cost. Rs 2,00,000/- Earnest Money Rs 4,000/- Time limit 15 days Cost of form Rs. 350/-

**Work No (2)** CC/O link road from Kafnoo Bazar to village Kafnoo km 0/0 to 0/510 (SH:- F/C and C/O R/wall in wire crate at RD 0/105 to 0/120 & B/wall at RD 0/0 to 0/015) Estimated cost. Rs 3,03,514/- Earnest Money Rs 6,070/- Time limit One months Cost of form Rs. 350/-

**Work No. (3)** Protection of helipad at Boning Saring (SH:- C/O C.C wall and wire crate wall) Estimated cost. Rs 4,06,283/- Earnest Money Rs 8,150/- Time limit Two months Cost of form Rs. 350/-

**Work No. (4)** Restoration of rain damages on Karchham Shilti road km 0/0 to 5/625(SH:- Removal of slips at RD 2/930 to 3/005) Estimated cost. Rs 2,95,818/- Earnest Money Rs 5,950/- Time limit One months Cost of form Rs. 350/-

**Work No. (5)** Special repair and maintenance of Police Chowki cum residence building at Chaura (SH:- C/O R/wall in C.C and S/R masonry for protection of stairs case & provision of drainage etc.) Estimated cost. Rs 3,60,642/- Earnest Money Rs 7,250/- Time limit Two months Cost of form Rs. 350/-

**Work No. (6)** C/O link road from HRT to Saak Kanda km 0/0 to 8/200 (SH:- F/C 5/7 mtr. Wide road between km 0/0 to 0/150) Estimated cost. Rs 3,12,384/- Earnest Money Rs 6,250/- Time limit One months Cost of form Rs. 350/-

**Work No. (7)** A/R & M/O link road to village Sapni km 0/0 to 8/300 (SH:- C/O R/wall at RD 7/887 to 7/895 and 7/900 to 7/913) Estimated cost. Rs 2,99,588/- Earnest Money 6,000/- Time limit Two months Cost of form Rs. 350/-

**Work No. (8)** R/R damages on Karchham Sapni road km 0/0 to 8/300 (SH: - C/O protection wall and B/wall at RD 6/820 to 6/832) Estimated cost. Rs 1,71,627/- Earnest Money 3,450/- Time limit One months Cost of form Rs. 350/-

**TERMS AND CONDITIONS:-**
The Earnest Money shown against each work must accompany with each tender in the shape of National Saving Certificate/Time Deposit Account/Post Office Saving Bank Account of any of the Post Offices duly pledged in the name of undersigned. The application of each tender alongwith following documents must reach in this office on 04.01.2019 upto 12:00 PM and issued on same day.
(i) Each application alongwith attested copy of the proof of enlistment in the appropriate Class and its renewal.
(ii) Permanent Account Number (PAN)
(iii) Labour Registration Certificate and EPF No/GST.
(iv) Affidavit /undertaking work in hand.
(v) Exemption Letter for payment of earnest money from competent authority if any.
The contractor enlisted in a particulars class shall be eligible to tender for his own class and one step below. The tender rates must be quoted in words and figures by the tenderer. The conditional tenders or the tenders without earnest money shall be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason. In case there happens to be a holiday on the date of opening of the tenders the same shall be opened on the next working day. The offer of the tender shall remain valid upto 90days from the opening of the tenders.

Adv. No.-3515/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

**शैल समाचार संपादक मण्डल**
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
सिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

**HIMACHAL PRADESH**
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
**"NOTICE INVITING TENDERS"**

Sealed item rate tender are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD, Bilaspur for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP-PWD, whose registrations stood renewed as per revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax Act. 1968. The important date of tender are as under:-

| | |
|---|---|
| Date of application | 28-12-2018 upto 2.00 PM |
| Date of sale of tender form | 28-12-2018 at 5.00 PM |
| Date of receipt of financial bid | 29-12-2018 at 10.30 AM |
| Date of opening of financial bid | 29-12-2018 at 11.00 AM |

The tender shall be received up to 10.30 A.M. on 29-12-2018 and will be opened on the same day at 11.00 A.M in the presence of intending contractors or their authorised representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on 28-12-2018.

The Earnest money in the shape of National Saving Certificate/Deposit at call/ Time Deposit /Account/ in any of the Post-Office /Nationalised Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD, Bilaspur must accompany with each application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days. The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

| Sr.No. | Name of Work | Estimated cost | Earnest Money | Cost of form | Time limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sh. Naina devi Ji Toba road Km. 0/0 to 9/225 (SH:- Extension of R.C.C. slab culvert at RD 0/855) under Himachal Road Improvement Scheme | Rs.32863/- | Rs.6450/- | Rs.350/- | Three Months |

**TERMS & CONDITIONS:-**
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. Earnest money should be accompanied with application. Application without earnest money will not be entertained.
3. The photo copy of Pan Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
4. The photo copy of GST Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
5. The tender forms will not be issued to those contractors who have two or more work in hand.
6. The tender forms will be issued to those contractors who have their own paver and hot mix plant nearest the site of work.

Adv. No.-3466/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

# सरकारी विभागो में भीड कम करने के लिये ऑनलाईन सेवाओं को दे बढ़ावा:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऑन-लाईन आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिनियमों, नियमों व विनियमों में सरलीकरण का सुझाव देते हुए प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट आश्वासन के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने विभागों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के वर्तमान मानकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए और प्रक्रिया में बदलाव व सरलीकरण के लिए अपेक्षित मामलों को सुझावों सहित मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जन मंच लोगों की शिकायतों का उनके घर-द्वार के समीप समाधान करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। उन्होने लोगों में निचले स्तर तक सरकारी योजनाओं व नीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह लोगों को सरकारी कार्यालयों में आवाजाही में कमी लाने में सहायक सिद्ध होगा और वे अपने मामलों को ऑनलाईन हल करवाने में सक्षम होंगे।

उन्होंने सभी विभागों को लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाईन सेवाओं का प्रयोग करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों को बिलों का भुगतान, राजस्व संबंधी दस्तावेज व अन्य प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवेदन पत्रों को जमा करवाने के लिए ऑनलाईन सेवाएं लेने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नागरिकों की सुविधा के लिए एक छत के नीचे सभी विभागों की ऐप लाने के लिए प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया कि मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए दवा विक्रेताओं को अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए सम्पर्क करना चाहिए। जिला स्तर तक के अस्पतालों में केमिस्टों के दूरभाष नम्बर दर्शाए जाने चाहिए और मरीजों को मेडिकल जांच रिपोर्ट ई-मेल व व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने के लिए विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए।

विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणां को पूरा करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।

# राजनाथ सिंह द्वारा 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का शुभारम्भ

**शिमला/शैल।** गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह द्वारा 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी की उपस्थिति में किया गया था। ERSS (Emergency Response Support System) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक आपातकालीन सेवा है, जिसके माध्यम से आपातकालीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति 112 हैल्पलाईन नं. डायल कर पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकता है।

ERSS के प्रचार करने के उद्देश्य से इस संबंध में एक विड़ियो पुलिस मुख्यालय द्वारा सोशल मीड़िया फेसबुक व यू-ट्यूब पर जारी किया गया है। इस विड़ियो को फेसबुक पर अब तक कुल 1,02,191 लोगों द्वारा देखा गया, 1700 लोगों द्वारा शेयर किया गया, 1874 लोगों द्वारा पसंद किया गया व 41 लोगों द्वारा सराहा गया है। वहीं यू-ट्यूब पर इस विडियो को 61 लोगों द्वारा देखा गया, 7 लोगों द्वारा पसंद किया गया व 5 लोग इससे जुड़े है।

# मॉनसून के दौरान प्रदेश को हुआ 1994 करोड़ का नुकसान

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार ने इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश को हुए नुकसान व क्षति की रिपोर्ट अतिरिक्त सूचना सहित अन्तर मंत्रालय केन्द्रीय टीम को भारत सरकार से वित्तीय सहायता की संस्तुति के लिए प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नन्दा ने बताया कि राज्य सरकार ने अन्तर मंत्रालय टीम को सूचित किया है कि राज्य को इस वर्ष बरसात के दौरान 1994 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को सड़कों तथा पुलों की क्षति का प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचा है। इस पर कुल क्षति 881.24 करोड़ रुपये की आंकी गई है। कृषि विभाग को 151.98 करोड़, बागवानी विभाग को 441.83 करोड़, कृषि तथा बागवानी भूमि को 16. 03 करोड़ रुपये, मत्स्य विभाग को 6.76 करोड़ रुपये, आवासीय क्षेत्र के लिए 43. 03 करोड़, सामुदायिक परिसम्पत्तियों को 34.46 करोड़, सिचांई एवं जन स्वास्थ्य को 430.04 करोड़, राज्य विद्युत बोर्ड को 53.50 करोड़, पशुपालन विभाग को 10 लाख तथा शिक्षा क्षेत्र को 11.77 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा मवेशियों का 87 लाख का नुकसान हुआ जबकि अनुग्रह राशि पर 13.72 करोड़ रुपये व्यय किए गए। भारी बरसात से बाढ़, भू-स्खलन, बादल फटने तथा सड़क दुर्घटनाओं में 343 लोगों ने अपनी जानें गवाई।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य को केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की संस्तुति करने का आग्रह किया और कहा कि पिछले 10 वर्षो में यह नुकसान सबसे अधिक है।

# प्रदेश में खुलेगा पैरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान: विपिन परमार

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पैरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजा जा रहा है। संस्थान के खुलने से राज्य में बड़ी संख्या में पैरा मेडिकल स्टाफ के कार्यकलापों का संचालन और स्वास्थ्य संस्थानों में स्टॉफ की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रति संवेदनशील है और मंत्रिमण्डल की प्रत्येक बैठक में स्वास्थ्य से जुड़े अनेक मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चुनावों के समीप बिना किसी बजट प्रावधान के तथा स्टाफ के अनेक स्वास्थ्य संस्थानों की घोषणाएं की, जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सकों के केवल 276 पद रिक्त हैं और दिसम्बर तथा जनवरी माह में इनमें से अधिकांश पद भर लिए जाएंगे और राज्य के दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ सहित नियुक्त किया जा रहा है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य के लिए छः ट्रॉमा सेन्टर स्वीकृत हुए हैं जिनमें आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कालेज टांडा जिला कांगड़ा, चम्बा, मण्डी जिला में नेरचौक, हमीरपुर तथा रामपुर शामिल हैं जबकि कुल्लू तथा बिलासपुर में ये केन्द्र पहले ही संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, नौ और ट्रॉमा सेन्टर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गए हैं। इनमें ऊना, नाहन, रिकांगपिओ, धर्मपुर जिला सोलन, नूरपुर, पालमपुर, जोगिन्द्र नगर, केलंग तथा नालागढ़ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी ट्रॉमा सेन्टरों के स्वीकृत हो जाने पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवनों के कार्य में तेजी सुनिश्चित की जाए ताकि आम जन मानस को इसका शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने राज्य में शुरू की गई विभिन्न स्वास्थ्य उपचार योजनाओं विशेषकर आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में पात्र सभी परिवारों को सम्मिलित करने तथा इनका प्रचार व प्रसार करने के निर्देश दिए।

# सरकार द्वारा 400 डॉक्टरों को शो-कॉज नोटिस

**शिमला/शैल।** औषधी संबंधी आदेश ''लेखा परीक्षा रिपोर्ट'' पर स्वास्थ्य विभाग के 400 डॉक्टरों को व्यवसायिक अनुचित व्यवहार के आरोप में सरकार द्वारा जारी किए गए ''शो-कॉज नोटिस'' का प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री विपिन परमार द्वारा किए गए सार्वजनिक खुलासे की हि.प्र. अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सराहना करते हुए कहा है कि समाज के हर वर्ग को राहत देने वाली जयराम सरकार की यह नीति डॉक्टरों और ब्रांडेड दवाई कम्पनियों के बीच अनाधिकृत गठजोड़ को विराम देगी, जो बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है। महासंघ ने कहा है कि जयराम सरकार का यह फैसला तर्कसम्मत निर्णय है जो प्रदेश के दूसरे सरकारी क्षेत्रों में फैली ऐसी अनियमितताओं और अनुचित व्यवहार पर भी रोक लगाने में सहायक सिद्ध होगा, बशर्ते जयराम सरकार ऐसे दोष साबित होने पर दोषियों के विरूद्ध निर्णायक कारवाई करें।

महासंघ नेता विनोद कुमार ने कहा है कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मन्त्री विपिन परमार का यह निर्णय सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते एक बड़ा कदम है जो प्रदेश की सभी सरकारी संस्थाओं पर भी लागू किया जाये। अक्सर सालों से सरकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा के दौरान लाखों एवं करोड़ों की सरकारी धन की बर्बादी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है जो सालों-साल तक सरकारी नस्तियों में जकड़ी रहती है और उसमें किसी भी बड़े अधिकारी की जबावदेही तय नहीं हो पाती है। परिणामत: ऐसी अनियमितताओं एवं भ्रष्ट आचरण की सम्भावनायें हर समय बनी रहती है, जिसके कारण सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता हे और इस धन के लाभार्थियों को सरकार की जमीनी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए महासंघ की जयराम सरकार से मांग है कि ऐसे गठजोड़ों को पूरी तरह से विराम देने के लिए सरकार की जो कारवाई स्वास्थ्य विभाग के 400 डॉक्टरों पर चिन्हित की गई वह अन्य सरकारी क्षेत्रों की तरफ भी आवश्यक है ताकि सरकार की जनहित में शून्य भ्रष्टाचार नीति सफल हो सके।

# भूस्खलन रोकने के लिये होगा कोर ग्रुप का गठन

**शिमला/शैल।** अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व व लोक निर्माण विभाग मनीषा नन्दा की अध्यक्षता में भू-स्खलन में कमी लाने के लिए कोर-ग्रुप के सृजन तथा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को भेजी जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए बैठक आयोजित की गई।

मनीषा नन्दा ने कहा कि भू-स्खलन राज्य में सबसे आम खतरा है और लगभग हर वर्ष राज्य एक अथवा इससे अधिक मुख्य भू-स्खलनों के कारण प्रभावित होता है, जिसमें मुख्य रूप से मकानों, खेतों, सड़कें तथा अधोसंरचना सहित जन-जीवन को नुकसान पहुंचता है। अधिकांश संवेदनशील भू-स्खलन स्थल राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप हैं, जिनका रख-रखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होने कहा कि भूकंप तथा बाढ़ की तरह भू-स्खलन के जोखिम को संरचना तथा गैर संरचना उपायों के संयोजन से कम किया जा सकता है।

उन्होने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने राज्य से भू-स्खलन से निपटने के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है। विभिन्न जिलों में भू-स्खलन की दृष्टि से संवेदनशील 21 स्थलों को चिन्हित किया गया है।

बैठक में राज्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कोर-ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया, जिसके सदस्य सचिव लोक निर्माण के प्रमुख अभियन्ता होंगे। कोर-ग्रुप में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण चण्डीगढ़ के निदेशक सदस्य होंगे तथा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता, उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक तथा आईआईटी मण्डी के तकनीकी विशेषज्ञ भी इस कोर-ग्रुप के सदस्यों में शामिल होंगे।

राज्य लोक निर्माण विभाग भूस्खलन कम करने के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी होगी तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण तथा राज्य भू-विज्ञान शाखा इसकी सहयोगी एजेन्सियां होंगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा भू-स्खलन को कम करने के उपायों के लिए आईआईटी मण्डी तकनीकी सहयोग करेगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नमूना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिलासपुर जिला के नैनादेवी से तथा सिरमौर जिला से एक-एक स्थल को चिन्हित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग प्रत्येक अंचल में चार से पांच संवेदनशील स्थलों की पहचान कर शीघ्र इसका उपचार करेगा।

मनीषा नन्दा ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण राज्य में भू-स्खलन आपदा से जुड़े जोखिम तथा संवेदनशीलता को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर भू-स्खलन के उपायों पर योजना बना रहा है।

# ट्रिब्यूनल में 20198 मामलों का निपटारा

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 30 नवम्बर, 2018 तक ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल 30283 मूल आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 20198 का अन्तिम निपटारा किया जा चुका है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 684 अवमानना याचिकाओं, 32 समीक्षा याचिकाओं, 104 निष्पादन याचिकाओं और 8278 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से 6481 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 1586 मामलों का निपटारा किया गया है।

स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। .....स्वामी विवेकानन्द

## सम्पादकीय

# प्रस्तावित अन्ना आन्दोलन–कुछ सवाल

अन्ना हजारे ने पहली दिसम्बर को प्रधानमन्त्री कार्यालय में तैनात राज्य मन्त्री जितेन्द्र सिंह को पत्र लिखकर सूचित किया है कि बार –बार आश्वासन दिये जाने के बाद भी सरकार लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्तियां नही कर रही है। इसलिये वह अपने गांव रालेगन सिद्धि में 30 जनवरी 2019 से आन्दोलन करने जा रहे हैं। अन्ना ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि 2011 में उनके साथ देश के करोड़ों लोगो ने इसके लिये आन्दोलन किया था। इस आन्दोलन पर 27 अगस्त 2011 को तत्कालीन सरकार ने लिखित आश्वासन और 2013 में इसके लिये कानून भी बना दिया। इससे लोगों को उम्मीद बंधी थी कि अब लोकपाल/लोकायुक्त नियुक्त हो जायेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जायेगा। लेकिन इसके बाद सरकार बदल गयी और अब इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में पांच माह का समय बचा है लेकिन अभी तक यह नियुक्तियां नही हो पायी है। अन्ना ने यह भी लिखा है कि उन्होंने तीस बार इस विषय पर मोदी सरकार से पत्राचार किया लेकिन एक बार भी जवाब तक नही आया है।

अन्ना ने अपने पत्र में जो कुछ लिखा है वह सही है। इसी से सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं और इसी से कुछ सवाल अन्ना की ओर भी उछलते हैं। यह पूरा देश जानता है कि केन्द्र में मोदी सरकार और दिल्ली प्रदेश की केजरीवाल सरकार दोनों ही अन्ना आन्दोलन के ही प्रतिफल हैं। केन्द्र की मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा है इसका प्रमाणपत्र अन्ना का यह पत्र ही बन जाता है जिसमें कहा गया है कि तीस बार पत्राचार करने के बावजूद एक बार भी जवाब तक नही आया। यही नही इससे भी बड़ा प्रमाणपत्र है मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम को ही संशोधित कर देना। नये संशोधित अधिनियम के जुलाई 2018 से लागू हो जाने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी शिकायत करना आसान नही होगा। बल्कि यदि कहीं किसी शिकायत की जांच के बाद किसी के खिलाफ मामला खड़ा भी हो जाता है तो उसे आगे चलाने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति चाहिये। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार व्यवहारिक रूप से भ्रष्टाचार के प्रति कितनी गंभीर है। सरकार के कार्यकाल के अन्तिम दिनों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच ऐजैन्सीयां कितनी सक्रिय हो उठी हैं उससे यही सामने आता है कि भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक विरोधीयों को दबाने का ही एक साधन रह गया है, इससे अधिक कुछ नही। इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है या नही इसका प्रमाण राफेल सौदा और सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के झगड़े से बड़ा और क्या हो सकता है।

इस परिदृश्य में सवाल उठता है कि क्या आज लोकपाल/लोकायुक्त नियुक्त होने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा? नहीं इसके लिये तो मौजुदा कानून भी पर्याप्त है लालू यादव और ओम प्रकाश चौटाला को सज़ा के लिये लोकपाल की आवश्यकता नही पड़ी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता चाहिये। आज की सरकार आम आदमी के प्रति कितनी गंभीर है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करने में 3000 करोड़ खर्च किया गया है यह सामने आया है। इस देश की आबादी 125 करोड़ है यदि यह प्रतिमा लगाने की बजाये हर व्यक्ति को एक– एक करोड़ दे दिया जाता तो देश की स्थिति वैसे ही बदल जाती। यह दिया जा सकता था लेकिन ऐसा हुआ नही क्योंकि आम आदमी को संपन्न बनाना उद्देश्य नही है उसको केवल वोट के लिये इस्तेमाल करना ही मकसद है। अभी चुनावों में राजनीतिक दलों ने जिस तरह के वायदे मतदाताओं से किये हैं वह सब प्रलोभन की परिभाषा में आते हैं। लेकिन हमारा चुनाव आयोग इन प्रलोभनों पर पूरी तरह खामोश है। चुनाव प्रचार के लिये एक आचार संहिता जारी कर दी जाती है। लेकिन इसकी उल्लंघना करने पर सजा कोई नही है क्योंकि इसे अभी तक अपराध अधिनियम के दायरे में नही लाया गया है। इस पर केवल चुनाव जीतने वाले के खिलाफ याचिका ही दायर की जा सकती है जिसका फैसला अगले चुनावों से पहले आने की कोई संभावना नही होती है। चुनाव आयोग ने चुनाव का खर्च इतना बढ़ा दिया है कि केवल राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं आम आदमी नहीं।

इसलिये आज भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये लोकपाल का नियुक्त होना कोई उपाय नही रह गया है। इसके लिये सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। आचार संहिता उल्लंघन को दण्डनीय अपराध बनाने की आवश्यकता है और इसमें उम्मीदवार के साथ ही संबंधित राजनीतिक दल के खिलाफ भी दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिये। जिसके भी खिलाफ कहीं कोई आपराधिक मामला दर्ज हो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिये। आज जिन माननीयों के खिलाफ मामले हैं वह दशकों तक इनकी जांच और फैसला नही होने देते। यदि चुनाव लड़ने पर रोक लग जाये तो यह लोग स्वयं अपने मामलों के शीघ्र निपटारे का प्रचार करेंगे। राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा तय होनी चाहिये और किसी भी दल का चुनावी वायदा व्यक्तिगत प्रलोभन के दायरे में नही आना चाहिये इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। इसलिये अन्ना से यह अनुरोध है कि वह लोकपाल को मुद्दा बनाने की बजाये इन चुनाव सुधारों को मुद्दा बनाये। इसके लिये जन आन्दोलन का आह्वान करें। अन्यथा आज जो आन्दोलन का आह्वान किया जा रहा है उससे कोई परिणाम नही निकलेगा। उल्टे इससे सत्तारूढ़ दल को ही लाभ मिलेगा और फिर यह आरोप लगेगा कि यह प्रस्तावित आन्दोलन भी संघ/ भाजपा का प्रायोजित है यही आरोप पहले भी लग चुका है।

ऐसे में आज यदि अन्ना सही में भ्रष्टाचार पर लगाम लगती देखना चाहते हैं तो उनके आन्दोलन का मुद्दा लोकपाल की जगह यह चुनाव सुधार होना चाहिये। जिस सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन करके शिकायत करने का रास्ता कठिन बना दिया और अन्ना जैसे व्यक्ति के पत्रों का जवाब तक नही दिया उस सरकर की नीयत का खुलासा इससे अधिक और क्या हो सकता है। इसलिये आज नैतिकता की मांग यह हो जाती है कि अन्ना इस सरकार को ही सत्ता से बाहर करने का आह्वान करें ताकि आम आदमी को यह विश्वास हो जाये की जो सरकार उनके ही आन्दोलन का प्रतिफल रही है। अन्ना गुण दोष के आधार पर उस सरकार का भी विरोध कर सकते हैं।

# अपनी घिसी–पिटी विदेश नीति को बदले भारत

(गौतम चौधरी)

जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तब से कई क्षेत्रों में नीतियां बदली–बदली–सी दिख रही हैं। बदलना भी चाहिए लेकिन बदली हुई नीति स्पष्ट भी होनी चाहिए। मसलन मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विदेश मंत्रालय की नीति की दिशा बिल्कुल अस्पष्ट है। बहुत जांच परख के बाद यही लगता है कि वर्तमान भारतीय विदेश मंत्रालय की नीति दो बिन्दुओं पर केन्द्रित हो गयी है। एक पाकिस्तान विरोध और दूसरा अमेरिका–इजरायत सामरिक गोलबंदी में अपना हित ढुंढना। इन दो सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति जाकर अटक गयी है। इसे अटकना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि यह भटकाव है। इससे भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक क्षति उठानी पड़ सकती है।

यदि गौर से देखें तो पाकिस्तान बड़ी तेजी से बदल रहा है। उसे अब लग गया है कि इस्लामिक आतंकवाद को साथ लेकर जनरल जिया वाली नीति से उसे बड़ा घाटा हुआ है। वह अब इस नीति से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। पाकिस्तान को इस नीति से अपना पिंड छुड़ाना ही होगा। यदि वह इसी सिद्धांत पर चलता रहेगा तो पाकिस्तान का कई भागों में टूटना तय है। फिर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में निवेश कर रहे चीन को भी इस्लामिक आतंकवादी की नीति पसंद नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को अपने यहां इस्लाम के आधार पर आतंकवाद को खत्म करना ही होगा। यह भारत के लिए हितकर साबित हो सकता है। भारत में सक्रिय आतंकवाद की 95 प्रतिशत प्रयोगशाला पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तानी प्रयोगशाला बंद हो गयी तो भारत लगभग आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। इसलिए अब भारतीय विदेशनीति में जो पाकिस्तान विरोध की रणनीति हावी है, उसे बदल देना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान में हो रहे परिवर्तन को भारत अपने हित में उपयोग कर सकता है। अब भारत को भविष्य की रणनीति पर काम करना चाहिए न कि भूतकाल के पाकिस्तान विरोध की रणनीति पर आरूढ़ रहना चाहिए।

दूसरी बात हमें यह भी समझना चाहिए कि अबतक भारत के खिलाफ पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सउदी अरब की ताकत से लड़ रहा था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सउदी अरब पाकिस्तान को इस क्षेत्र में भी सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए भी पाकिस्तान अब अपने देश में आतंकवाद की प्रयोगशाला को समाप्त करेगा। पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवाद का उद्भव अमूमन जनरल जियाउल हक के समय से माना जाता है। हालांकि इस्लाम का संरक्षण–संवर्धन पाकिस्तान के संविधान का अंग है लेकिन आतंकवाद के माध्यम से इसे अगल–बगल के देशों में फलाने की रणनीति जिया के समय में ही बनी। उन दिनों अमेरिकी नेतृत्व वाला नाटो और वैश्विक साम्यवादी कुनवा सोवियत रूस के नेतृत्व में सक्रिय था। ये दोनों अपने–अपने क्षेत्र के विस्तार में लगे थे और एक दूसरे के हितों पर प्रहार कर रहे थे। अफगानिस्तान, दोनों महाशक्तियों के युद्ध का मैदान बन गया था। चूंकि अमेरिका को अफगानिस्तान से सोवियत रूस को खदेड़ना था इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना आधार मजबूत किया और तालिबान को मजबूत कर अफगानिस्तान से रूस को खदेड दिया। उन दिनों भारत का झुकाव रूस के प्रति था, दूसरी ओर भारत–पाकिस्तान का घुर विरोधी था। इसलिए भारत भी इस्लामिक आतंकवाद के जद में आ गया। अब दुनिया का शक्ति संतुलन बदल गया है। रूस अब नए सिरे से अपने आप को संगठित कर रहा है। अमेरिका भी अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहा है। अमेरिका के साथ समस्या यह है कि वह फिलहाल अपने घरेलू झंझट को ठीक करेगा। इसके बाद दुनिया की रणनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। उसने अपने ही कई सिद्धांतों का खंडन कर दिया है ऐसे में अमेरिका के साथ चलने की रणनीति किसी भी संप्रभू राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा।

इन दिनों दुनिया में एक नया खिलाड़ी उभरकर आया है। वह चीन है। चीन अपनी रणनीति के बदौलत न केवल अमेरिका को मजबूर किया है अपितु रूस को भी अपने साथ जोड़ लिया है। चीन दुनिया में कई परिवर्तन को जन्म देने की रणनीति पर काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर चीन अफ्रीकी देशों में अपनी पूंजी निवेश कर रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में भी चीन का बड़ा निवेश हो रहा है। यहां तक भी भारत के पड़ोसियों पर भी चीन ने जबरदस्त तरीके से प्रभाव जमाया है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, म्यामार, मालद्वीप आदि भारत के पड़ोस में भी चीन ने अपनी धारदार आर्थिक –सामरिक–साम्राज्यवादी नीति से भारत को घेरने की पूरी कोशिश की है। चीन इस मामले में बहुत हद तक सफल भी हुआ है।

ऐसे में भारत की घिसी–पिटी विदेश नीति अब कारगर साबित होने वाली नहीं है। पूरे मध्य एशिया में व्यापक परिवर्तन होना तय है। मध्य एशिया से लेकर सीरिया तक बड़े आर्थिक विकास के काम होने हैं। इसमें भारत अपनी हिस्सेदारी तय कर सकता है। आर्थिक विकास और सामरिक परिवर्तन साफ–साफ दिख रहा है। अमेरिका–इजरायल के दोस्त लगातार उसका साथ छोड़ रहे हैं। मसलन नाटो का सदस्य होने के बावजूद टर्की ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। जौडन, सीरिया, ईरान, इराक अब चीन–रूस के खेमें में चला गया है। यूरोपीए संघ भी अब अंध अमेरिकी रणनीति पर चलने के मूड में नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में इजरायल को भी अमेरिका के इतर अपनी रणनीति बनानी होगी, नहीं तो अरब की धरती पर उसका बहुत दिनों तक टिके रहना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत को अमेरिका–इजरायल की वैश्विक रणनीति का पिछलगु बनने से ज्यादा बेहतर होगा खुद की रणनीति बनाए और विश्व मंच पर विकाशील देशों का नेतृत्व करे। इस दिशा में बहुत संभावना है और भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसके माध्यम से भारत कई सामरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम हो जाएगा।

दूसरी जो पाकिस्तान विरोध वाली रणनीति है उसे भी भारत को लगभग छोड़ देना चाहिए। अब कश्मीर का मुद्दा भी धीरे–धीरे समाप्त होने वाला है। कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर दोनों देशों को संतोष करना होगा। यह जितना जल्दी होगा दोनों देशों को उतना ही लाभ होगा। अब बड़ी लड़ाई दोनों देशों के बीच संभव ही नहीं है। पाकिस्तान भी इस सत्यता को समझ गया है और भारत भी। इसलिए सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना ही दोनों देशों के हित में होगा। चीन के द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे विकास, पाकिस्तान के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाला है। ये जो प्रचार हो रहा है कि चीन अपने लोगों को रोजगार देगा, इसमें थोड़ी सत्यता तो है लेकिन बड़े पैमाने पर यह सत्य नहीं है। चीन–पाकिस्तान कॉरिडोर में छोटे–छोटे रोजगार बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले हैं। चीन अपने यहां से मात्र पांच लाख उच्च तकनीक एक्सपर्ट को लेकर आएगा, बाकी का रोजगार पाकिस्तानी युवाओं को ही मिलने वाला है। इसलिए पाकिस्तानी युवक अब रोजगार में लगेंगे। यही करण है कि अभी से आतंकवादी संगठनों को लड़ाके ढुंढने में समस्या हो रही है और आतंकवादी संगठनों के नेताओं ने चीन की इस परियोजना का विरोध भी प्रारंभ कर दिया है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इस परिवर्तन को भारत अपने हित में किस प्रकार उपयोग कर सकता है यह भारत को सोचना चाहिए। यदि भारत ने अपने हितों के लिए दुनिया में हो रहे इन तमाम परिवर्तनों को साध लिया आने वाले समय में भारत– चीन को भी मात दे सकता है और एशिया का बादशाह बन सकता है। यह भारत के लिए बेहतर मौका है और पाकिस्तान विरोध व अमेरिकी–इजरायल गुटबंदी का हिस्सा भारत को दुनिया की रणनीति से ही अलग कर देगा। इससे आने वाले समय में भारत को जबरदस्त घाटा हो सकता है।

# कर्मचारी नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

.....पृष्ठ 1 का शेष

को दिये फैसले में कहा है "43. Thus, it is clear that adherence to the rule of equality in public employment is a basic feature of our Constitution and since the rule of law is the core of our Constitution, a court would certainly be disabled from passing an order upholding a violation of Article 14 or in ordering the overlooking of the need to comply with the requirements of Article 14 read with Article 16 of the Constitution. Therefore, consistent with the scheme for public employment, this Court while laying down the law, has necessarily to hold that unless the appointment is in terms of the relevant rules and after a proper competition among qualified persons, the same would not confer any right on the appointee. If it is a contractual appointment, the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were an engagement or appointment on daily wages or casual basis, the same would come to an end when it is discontinued. Similarly, a temporary employee could not claim to be made permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the term of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules. It is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose period of employment has come to an end or of adhoc employees who by the very nature of their appointment, do not acquire any right. The High Courts acting under Article 226 of the Constitution, should not ordinarily issue directions for absorption, regularisation, or permanent continuance unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme. Merely because an employee had continued under cover of an order of the court, which we have described as "litigious employment" in the earlier part of the judgment, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the service.

In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief, it may be possible for it to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment would hold up the regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee who is really not required.

The courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or lend themselves the instruments to facilitate the bypassing of the constitutional and statutory mandates."(Emphasis supplied)

14. However, in paragraph 53 an exception is made to the general principles against regularisation as a one-time measure which is as under: "53. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments (not illegal appointments) as explained in S.V. Narayanappa, R.N. Nanjundappa and B.N. Nagarajan and referred to in para 15 above, of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work forten years or more but without the intervention of orders of the courts or of tribunals. The question of regularisation of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this Court in the cases abovereferred to and in the light of this judgment. In that context, the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularise as a one-time measure, the services of such irregularly appointed, who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders of the courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up, in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed. The process must be set in motion within six months from this date. We also clarify that regularisation, if any already made, but not sub judice, need not be reopened based on this judgment, but there should be no further bypassing of the constitutional requirement and regularising or making permanent, those not duly appointed as per the constitutional scheme."

15. In some of the LPAs the Division Bench appears to have followed paragraph 11 in M.L. Kesari (supra) for directing regularisation of service without considering the observations contained in paragraph 7 of the judgment. In paragraph 11, it was observed that "the true effect of the direction is that all persons who have worked for more than ten years as on 10.4.2006 [the date of decision in Umadevi (3)] without the protection of any interim order of any court or tribunal, in vacant posts, possessing the requisite qualification, are entitled to be considered for regularisation within six months of the decision in Umadevi (3) as a one-time measure ....... ". However, in paragraph 7 after considering Umadevi (supra) this Court has categorically held that for regularisation, the appointment of employee should not be illegal even if irregular.

"7. It is evident from the above that there is an exception to the general principles against "regularisation" enunciated in Umadevi (3), if the following conditions are fulfilled:

(i) The employee concerned should have worked for 10 years or more in duly sanctioned post without the benefit or protection of the interim order of any court or tribunal. In other words, the State Government or its instrumentality should have employed the employee and continued him in service voluntarily and continuously for more than ten years.

(ii) The appointment of such employee should not be illegal, even if irregular. Where the appointments are not made or continued against sanctioned posts or where the persons appointed do not possess the prescribed minimum qualifications, the appointments will be considered to be illegal. But where the person employed possessed the prescribed qualifications and was working against sanctioned posts, but had been selected without undergoing the process of open competitive selection, such appointments are considered to be irregular." (Emphasis supplied)

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के आईने में राज्य सरकार ने आऊट सोर्स कर्मचारियों के लिये जुलाई 2017 को जो नीति बनाई थी उसकी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि आऊट सोर्स पर रखे गये कर्मचारी सरकार के कर्मचारी न होकर प्राईवेट कम्पनी या ठेकेदार के कर्मचारी हैं। सरकार के किसी भी नियम के तहत इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और ना ही यह सरकार को कानूनन जवाबदेह है। ऐसे में क्या इन कर्मचारियों से सरकारी कार्यालयों में कलर्क का काम लिया जा सकता है? क्या आऊटसोर्स कर्मचारी के संज्ञान में दफ्तर की फाईल लायी जा सकती है? शायद नहीं। ऐसे में क्या सरकार आऊटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण नहीं कर रही है? क्या आर एण्ड पी रूल्ज़ बदले बिना आऊट सोर्स पर नियुक्तियां की जा सकती हैं।

# अन्ना का प्रधानमन्त्री कार्यालय के नाम पत्र

प्रति,
मा. जितेंद्र सिंह जी,
राज्यमंत्री, प्रधानमंत्रे कार्यालय,
साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

विषय: - 30 जनवरी 2019 महात्मा गांधी पुण्यतिथि के अवसर पर सरकार बार-बार आश्वासन देकर भी लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ति नहीं कर रही है इसलिए मेरे गांव रालेगणसिद्धी में मै मजबूर होकर आंदोलन कर रहा हूँ।

महोदय,

देश मे बढते भ्रष्टाचार से जनता बाज आकर देश मे 2011 मे लोकपाल और लोकायुक्त कानून बने इसलिए करोडो लोगों ने रास्ते पर उतरकर बडा आंदोलन किया। 16 अगस्त 2011 को मैंने रामलीला मैदान पर अनशन शुरु किया था।

अनशन के 13 दिन बाद देश की जनशक्ति के दबाव के कारण 27 अगस्त 2011 को तत्कालीन सरकार ने लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त करने का लिखित आश्वासन देने के बाद मैंने मेरा अनशन छोड़ा था और आश्वासन के बाद सरकार ने लोकपाल, लोकायुक्त कानून 2013 मे बना दिया और कानून बनने के बाद देशवासियों को आशा के किरण दिखाई दे रही थी कि अब लोकपाल, लोकायुक्त कि नियुक्ति होगी और देश के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो कर नरेंद्र मोदीजी की सरकार सत्ता में आ गई। मोदी सरकार आने के बाद हमने सरकार से लोकपाल, लोकायुक्त के नियुक्ति के बारें मे तीस बार पत्राचार किया। परंतु मोदीजी ने पत्र का जवाब तक नहीं दिया। मोदी सरकार पहले कहती गई की चयन कमेटी में विरोधी पक्ष नेता नहीं इसलिए लोकपाल नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आगे कुछ दिन बाद सरकार कहने लगी कि चयन कमेटी मे सीनियर कानूनविद नहीं हैं इसलिए लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। कई बहाने बता कर लोकपाल नियुक्ति टालते गए।

सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार को जल्द से जल्द लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ति के लिए कई बार फटकार लगाई है लेकिन कुछ ना कुछ बहाने बनाकर लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस सरकार ने चार साल बहाने बनाने मे समय बिता दिया। सरकार जानबूझकर लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति ना करने के कारण चार साल के बहानेबाजी के बाद मैंने 23 मार्च 2018 को रामलीला मैदान पर मेरा अनशन शुरु किया। 29 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे लिखित आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त करेंगे। लिखित आश्वासन के कारण मैंने अनशन छोड़ते समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी सरकार को समय दिया था कि 2 अक्तूबर 2018 महात्मा गांधी जयंती तक लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त नहीं कि तो फिर से आंदोलन होगा। 2 अक्तूबर 2018 को मेरा आंदोलन मेरे गांव रालेगणसिद्धी मे शुरु होने वाला था उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों ने फिर से आश्वासन दिया था कि लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ति अंतिम स्टेज पर आई है। एक बार और मौका देना और उस वक्त मैने 30 जनवरी 2019 तक रुकने का निर्णय लिया था। क्योकि यह मेरा निजी प्रश्न नहीं है, देश के जनता का प्रश्न है। देश के भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने का प्रश्न है। प्रश्न चर्चा से छूटते हैं इस पर मुझे विश्वास होने के कारण बार-बार रुकता गया लेकिन अब ऐसे महसूस हो रहा है कि यह देश की जनता से विश्वासघात हो रहा है। यह सरकार सत्ता में आकर 4 साल से अधिक प्रदिर्घ काल जाने के बाद भी लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है। यह स्पष्ट होता है कि इस सरकार की लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ति करने की मन्शा नही है। हार्ट अटैक आकर मृत्यु आता है। ऐसे मृत्यु आने के बजाए समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो हमारा भाग्य होगा। ऐसी मेरी धारणा बन गई है। आप और आप की सरकार ने 29 मार्च 2018 को जो लिखित आश्वासन दिए थे उसको पूरा करें अन्यथा 30 जनवरी 2019 को मे मेरे गांव रालेगणसिद्धी मे आंदोलन कर रहा हूँ।

भवदीय,
कि. बा. तथा अन्ना हजारे

# हिमाचल में 'मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना' का प्रभावी कार्यान्वयन

क्षय रोग एक भयावह व जानलेवा बीमारी है जो हर साल कई बहुमूल्य जिंदगियों का काल का ग्रास बनाती है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है जबकि राज्य 2023 से पहले इसे हासिल करने के लिए तैयार है ताकि हिमाचल देश का पहला टीबी मुक्त राज्य बन सके। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से राज्य में एक नई योजना 'मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना' शुरू की गई है। योजना के तहत निजी चिकित्सकों के लिए 12 चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन तथा दवा विक्रेताओं के लिए 12 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हर साल लगभग 14 हजार टीबी रोगियों का पता लगाकर इनका उपचार किया जाता है। वर्ष 2017 में 14070 के लक्ष्य के मुकाबले राज्य ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार के लिए 15000 नए टीबी रोगियों का पंजीकरण किया। 2500 के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 900 नए टीबी रोगियों को राज्य के निजी अस्पतालों से अधिसूचित किया गया। हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के वास्तविक आंकड़े प्राप्त न होने से रोगियों की संख्या में अंतर आ जाता है। क्षय रोग से राज्य में हर साल करीब 550 मौतें हो जाती हैं।

वर्तमान में उपचार के लिए 450 दवा प्रतिरोधी टीबी मामलें हैं। जिनमें से 300 में बीमारी का पता लगाकर इनका इलाज किया जा रहा है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) को हिमाचल प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। हमीरपुर भारत का पहला ऐसा जिला है जहां 1995 में पायलट आधार पर कार्यक्रम को लागू किया गया। इसके बाद 1998 में कांगड़ा और मंडी में इसे लागू किया गया। पूरे राज्य को जनवरी 2002 में शामिल किया गया था। टीबी रोगियों का उपचार प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक के तहत किया जाता है जिसे डॉट्स कहा जाता है। लेकिन विभिन्न कारणों से कुछ रोगी उपचार पूरा नहीं करते हैं या अधूरा उपचार ही करवा पाते हैं। कुछ विशेषज्ञ बाजार से टीबी की दवाईयां लिखते हैं, जो काफी महंगी हैं और रोगी दवाओं को बीच में लेना बंद कर देता है जिससे इलाज अधूरा रहने के कारण वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाता है।

अपूर्ण, अपर्याप्त उपचार और उपचार के विभिन्न नियमों से मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी (एमडीआर) का उद्भव होता है जो उपलब्ध दवाओं से ठीक नहीं हो पाती है। टीबी के इस रूप को नियंत्रित करना मुश्किल है और उपचार भी काफी महंगा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि टीबी रोगियों का गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय प्रयोगशालाओं द्वारा बीमारी का सही तरीके से पता लगाकर एक सुव्यवस्थित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली द्वारा डॉट्स के तहत इलाज किया जाता है, तो निश्चित रूप से टीबी के इस नए रूप को कम किया जा सकता है।

आरएनटीसीपी का उद्देश्य सभी मामलों में 90 प्रतिशत अधिसूचना दर अथवा पंजीकरण को हासिल करना है। साथ ही टीबी के सभी नए मामलों के अलावा पुनः उपचार के 85 प्रतिशत मामलों में 90 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त करना है। इससे राज्य के 90 प्रतिशत क्षयरोगी

उपचार के लिए कवर होंगे।

16570 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 17638 रोगियों को अधिसूचित किया गया है। बेहतर प्रदर्शन के लिए डुप्लिकेट प्रविष्टि एक मुद्दा रहता है। 2018 में 24.11.2018 तक कुल 15023 रोगी पंजीकृत किए गए और निजी क्षेत्र में भी पंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है।

कुल्लू, उना, चंबा और हमीरपुर में चार जिला डीआरटीबी केंद्र कार्यरत हैं और आईजीएमसी शिमला को 2018 में नोडल डीआर-टीबी केंद्र के रूप में परिचालित किया गया था। नाहन, बिलासपुर, डीडीयू अस्पताल शिमला, अंचल अस्पताल धर्मशाला, रिकांगपिओ, तथा केंलग जिला डीआरटीबी केंद्रों सहित एक नोडल डीआरटीबी केंद्र मण्डी का सिविल कार्य की प्रक्रिया जारी है। राज्य ड्रग स्टोर टीबीएस धर्मपुर का सिविल कार्य भी शुरू किया जाएगा।

कुल्लू, पालमपुर, नूरपुर, रामपुर, केंलग, रिकांगपिओ, डीडीयू जेएच शिमला तथा जवालमुखी अस्पतालों में सीबीएनएएटी मशीनें स्थापित की गई हैं जबकि जेएच धर्मशाला, सीएच नालागढ़ और आईजीएमसी शिमला में सीबीएनएएटी मशीनों की स्थापना प्रक्रियाधीन है। राज्य में जिला सोलन के धर्मपुर का टीबी सैनिटॉरियम पुराने टीबी अस्पतालों में से एक है। इसमें आरएनटीसीपी के कई घटक हैं और क्षयरोग के बेहतर ईलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्यभर में मुख्यमंत्री क्षयरोग निवारण योजना के तहत वर्तमान में पंचायती राज संस्थानों के लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। राज्य ने जुलाई 2018 में एक नई एमडीआर टीबी दवा 'बेडाक्विलाइन' शुरू की है और इसके तहत कुल 25 मरीजों को इलाज पर रखा गया है। सक्रिय टीबी मामलों का पता लगाने के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में अभियान के दो दौर आयोजित किए गए हैं और इन अभियानों के माध्यम से लगभग 170 नए मामले सामने आए हैं।

राज्य में जनवरी 2019 में 'टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा' आरंभ किया जाएगा जिसमें विशेष रूप से सक्रिय टीबी के मामलों की खोज कर इन्हें उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

# राज्य सहकारी बैंक की मोबाइल प्रदर्शन वैन शुरू

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की मोबाइल प्रदर्शन वैन का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सहकारी बैंक की यह पहल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता लाने व बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि यह वैन प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न आधुनिक बैंक सेवाओं को प्रदर्शित कर अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय समावेशन के तहत लाने में सहायक सिद्ध होगी। यह वैन व्यवसायिओं और उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील होने के अतिरिक्त लोगों में विभिन्न बैंक तकनीकी का प्रयोग करते समय सुरक्षा मानकों के बारे में भी जागरूक करेगी।

जय राम ठाकुर ने बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे एटीएम व रूपये कार्ड से लेन-देन आदि के प्रदर्शन में भी सहायता मिलेगी।

मोबाइल वैन एटीएम, टीवी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरा, ध्वनि प्रणाली और प्रचार सामग्री से सुसज्जित की गई है। इस वैन को खरीदने के लिए नाबार्ड द्वारा 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

# सरवीन चौधरी बनी स्मार्ट सिटी 'पर्सन ऑफ द इयर'

**शिमला/शैल।** शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी को बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड मीडिया ग्रुप द्वारा स्मार्ट सिटी 'पर्सन ऑफ द इयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बीडब्ल्यू बिजनेस

वर्ल्ड के मुख्य सम्पादक एवं अध्यक्ष अनुराग बत्रा ने नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यू स्मार्ट सिटी सम्मेलन एवं पुरस्कार के छठे संस्करण के दौरान प्रदान किया गया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए सरवीन चौधरी ने कहा कि देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को उनके कार्य के आधार पर मान्यता प्रदान करने के अलावा इस सम्मेलन ने हिमाचल प्रदेश के शिमला तथा धर्मशाला जैसे अन्य महत्वाकांक्षी स्मार्ट शहरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें आधारभूत संरचना और सेवाओं के लिए कुशल समाधान, नागरिक अनुकूलन सेवाएं, भीड़-भाड़ को कम करना तथा चलने योग्य हरित शहरों की परिकल्पना की गई है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा प्रदान किए गए अवसर को आगे बढ़ाने तथा शिमला और धर्मशाला को बुनियादी ढांचे तथा नागरिक सेवाओं में विश्व स्तरीय मापदंडों के साथ विश्व श्रेणी देश को उत्कृष्ट और रहने योग्य शहर बनाने के लिए वचनबद्ध है। दोनों शहरों में शिमला के लिए 53 परियोजनाएं तथा धर्मशाला के लिए 74 परियोजनाओं पर 5000 करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है।

उन्होंने उद्योग तथा व्यापार को आगे आने तथा शिमला और धर्मशाला शहरों की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में खुले मन से भाग लेने का आमंत्रण दिया। बुनियादी ढांचे से ई-गवर्नेंस तक परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला उद्योग और व्यापार को इन दो पहाड़ी शहरों के विकास का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करती है।

# रियाद में सभी हिमाचली सुरक्षित, दो को छुड़वाया गया

**शिमला/शैल।** सऊदी अरब के रियाद में फसे हिमाचल प्रदेश के सभी 12 लोग सुरक्षित हैं और उन्हें शीघ्र छुड़वाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के निदेशक आर.वी. प्रसाद ने राज्य सरकार से साझा की गई सूचना के अनुसार रियाद में भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश के 12 लोगों सहित सभी 14 भारतीयों को रियाद प्रत्यार्पण केन्द्र में रखा गया है। इनमें से पंजाब के ओंकार चन्द को पहले ही भारत भेज दिया गया है। मण्डी के तनुज कुमार तथा देवेन्द्र कुमार को उनके प्रायोजकों द्वारा छुड़वाया गया है।

दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन नागरिकों से बात की। इसके उपरान्त दूतावास के अधिकारी 2 दिसम्बर, 2018 को दूसरे भारतीय नागरिकों से भी मिले और उनके सुरक्षित होने की सूचना दी।

रियाद में भारतीय दूतावास के अधिकारी भी प्रत्यार्पण केन्द्र के संबंधित अधिकारियों से मिले और भारतीय नागरिकों को शीघ्र भारत भेजने की मांग की। दूतावास ने सूचित किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी नागरिक नियमों की अवहेलना करके सऊदी अरब पहुंचे थे। दूतावास ने हरसंभव सहायता देने तथा उनके भारत सुरक्षित लौटने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।

जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भारतीय नागरिकों की रिहाई का मामला निजी तौर पर सऊदी अरब के अधिकारियों से उठाने का आग्रह किया है।

# जरा सोचिये! जब मेनस्ट्रीम मीडिया को कोई देखने–सुनने, पढ़ने वाला नहीं होगा

क्या पत्रकारिता की धार भोथरी हो चली है? क्या मीडिया–सत्ता गठजोड ने पत्रकारिता को कुंद कर दिया है? क्या मेनस्ट्रीम मीडिया की चमक खत्म हो चली है? क्या टैक्नॉलाजी की धार ने मेनस्ट्रीम मीडिया में पत्रकारों की जरुरतों को सीमित कर दिया है? क्या राजनीतिक सत्ता ने पूर्ण शक्ति पाने या वर्चस्व के लिये मीडिया को ही खत्म करना शुरु कर दिया है? जाहिर है ये ऐसे सवाल है जो बीते चार बरस में धीरे– धीरे ही सही लेकिन कहीं तेजी से उभरे हैं। खासकर जिस अंदाज में न्यूज चैनलो के स्क्रिन पर रेंगते मुद्दे का कोई सरोकार ना होना। मुद्दों पर बहस असल मुद्दों से भटकाव हो। और चुनाव के वक्त में भी रिपोर्टिंग या कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी इवेंट से आगे निकल नहीं पाये। या कहे सत्ता के अनुकुल लगने की जद्दोजहद में जिस तरह मीडिया खोया जा रहा है उसमें मीडिया के भविष्य को लेकर भी कई आशंकायें उभर रही हैं। आशंकायें इसलिये क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया के समानन्तर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया अपने आप ही खबरों को लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया को चुनौति देने लगा है और ये चुनौति भी दो तरफा है। एक तरफ मीडिया–सत्ता गठजोड ने काबिल पत्रकारों को मेनस्ट्रीम से अलग किया तो उन्होंने अपनी उपयोगिता डीजिटल या सोशल मीडिया में बनायी। तो दूसरी तरफ मेनस्ट्रीम मीडिया में जिन खबरों को देखने की इच्छा दर्शकों मे थी अगर वही गायब होने लगी तो बड़ी तादाद में गैर पत्रकार भी सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम से अलग–अलग मुद्दों को उठाते हुये पत्रकार लगने लगे।

*–पुण्य प्रसून वाजपेयी–*

मसलन ध्रुव राठी कोई पत्रकार नही हैं। आईआईटी से निकले 26 वर्ष के युवा हैं। लेकिन उनकी क्षमता है कि किसी भी मुद्दे या घटना को लेकर आलोचनात्मक तरीके से तकनीकी जानकारी के जरिये डीजिटल मीडिया पर हफ्ते में 10 –10 मिनट के दो कैप्सूल बना दें। तो उन्हें देखने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि मेनस्ट्रीम अखोंजी मीडिया का न्यूज चैनल रिपब्लिक या टाइम्स नाउ या इंडिया टुडे भी उससे पिछड़ गया।

लेकिन यहां सवाल देखने वालों की तादाद का नहीं बल्कि मेनस्ट्रीम मीडिया की कुंद पडती धार का है, और जिस तरह मीडिया का विस्तार सत्ता के कब्जे के दायरे में करने के लिये मीडिया संस्थानो का नतमस्तक होना है, उसका भी है। और ये सवाल सिर्फ कन्टेट को लेकर ही नहीं है बल्कि यही सवाल डिस्ट्रीब्यूशन से भी जुड जाता है। ध्यान दें तो मोदी सत्ता के विस्तार या उसकी ताकत के पीछे उसके मित्र कारपोरेट की पूंजी की बड़ी भूमिका रही है। मीडिया संस्थानों की फेरहिस्त में बार बार ये सवाल उठता है कि मुकेश अंबानी ने मुख्यधारा के 70 फीसदी मीडियाहाउस पर लगभग कब्जा कर लिया है। हिन्दी में सिर्फ आजतक और एबीपी न्यूज चैनल को छोड दें तो कमोवेश हर चैनल में दायें–बायें या सीधे पूंजी अंबानी की ही लगी हुई है। यानी शेयर उसी के है। पर ये भी महत्वपूर्ण है कि अंबानी का मीडिया प्रेम यूं नहीं जागा है, और मोदी सत्ता नहीं चाहती तो जागता भी नहीं ये भी सच है। क्योकि धीरुभाई अंबानी के दौर में मीडिया में ऑबजर्वर ग्रूप के जरीये सीधी पहल जरुर हुई थी। लेकिन तब कोई सफलता नही मिली, और तब सत्ता की जरुरत भी अंबानी के मीडिया की जरुरत से कोई लाभ लेने वाली नहीं थी तो मीडिया कोई लाभ का धंधा तो है नहीं। लेकिन सत्ता जब मीडिया पर अपने लिये नकेल कस लें तो मीडिया से लाभ किसी भी धंधे से ज्यादा लाभ देने लगती है। सच ये भी है क्योंकि सिर्फ विज्ञापनो से न्यूज चैनलो का पेट कितना भरता होगा ये दो हजार करोड़ के विज्ञापन से समझा जा सकता है जो टीआरपी के आधार पर चैनलो में बंटते–खपते हैं। लेकिन राजनीतिक विज्ञापनो का आंकडा जब बीते चार बरस में बढ़ते– बढ़ते 22 से 30 हजार करोड़ तक जा पहुंचा है तो फिर मीडिया अगर सिर्फ धंधा है तो कोई भी मुनाफा कमाने में ही जुटा हुआ नजर आयेगा। जो सत्ता से लड़ेगा उसकी साख जरुर मजबूत होगी लेकिन मुनाफा सिर्फ चैनल चलाने तक ही सीमित रह जायेगा, और कैसे सत्ता कारपोरेट का खेल मीडिया को हड़पता है इसकी मिसाल एनडीटीवी पर कब्जे की कहानी है जो मोदी सत्ता के दौर में राजनीतिक तौर पर उभरी और मोदी सत्ता ही उन तमाम कारपोरेट प्लेयर को तलाशती रही कि वह एनडीटीवी पर कब्जा करें। उसने एक तरफ अगर सत्ता की मीडिया को अपने कब्जे में लेने की मानसिकता को उभार दिया तो उसका दूसरा सच यह भी है कि मीडिया चलाते हुये चाहे जितना घाटा हो जाये लेकिन मीडिया पर कब्जा कर अगर उसे मोदी सत्ता के अनुकुल बना दिया जाये तो मोदी सत्ता ही दूसरे माध्यमो से मीडिया पर कब्जा जमाये कारपोरेट को ज्यादा लाभ दिला सकती है और यहां ये भी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले सहारनपुर के गुप्ता बंधुओ जिनका वर्चस्व दक्षिण अफ्रिका में राबर्ट मोगाबे के राष्ट्रपति होने के दौर में रहा उनको एनडीटीवी पर कब्जे का ऑफर मोदी सत्ता की तरफ से दिया गया। लेकिन एनडीटीवी की बुक घाटे वाली लगी तो गुप्ता बंधु ने एनडीटीवी पर कब्जे से इंकार कर दिया। चुकि गुप्ता बंधुओ का कोई बिजनेस भारत में नहीं है तो उन्हे घाटे का मीडिया सौदा करने के बावजूद भी राजनीतिक सत्ता से मिलने वाले ज्यादा लाभ की जानकारी नहीं रही। लेकिन भारत में काम कर रहे कारपोरेट के लिये ये सौदा आसान रहा। तो अंबानी ग्रुप इसमें शामिल हो गया और माना जाता है कि आज नहीं तो कल एनडीटीवी के शेयर भी ट्रांसफर हो ही जायेगें और इसी कड़ी में अगर जी ग्रूप को बेचने और खरीदने की खबरों पर ध्यान दें तो ये बात भी खुल कर उभरी कि आने वाले वक्त में जी ग्रूप को भी अंबानी खरीद रहे हैं और मीडिया पर कारपोरेट के कब्जे के सामानांतर ये भी सवाल उभरा कि कहीं मीडिया कारपोरेशन बनाने की स्थिति तो नहीं बन रही है। यानी कारपोरेट का कब्जा हर मीडिया हाउस पर हो और कारपोरेट सीधे सीधे सत्ता से समझौता कर लें। यानी कई मीडिया हाउस को मिलाकर बना कारपोरेशन सत्तानुकुल हो जाये और सत्ता इसकी एवज में कारपोरेट को तमाम लाभ दूसरे धंधो में देने लगे। तो फिर कमोवेश किसी तरह का कांटीशन भी चैनलो में नहीं रहेगा और खर्चे भी सीमित होगें। जो सामन्य स्थिति में खबरो को जमा करने और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे से बढ़ जाते हैं वह भी सीमित हो जायेगें। क्योंकि कारपोरेट अगर मीडिया हाउस पर कब्जा कर रहा है तो फिर जनता तक जिस माध्यम से खबरें पहुंचती हैं वह केवल सिस्टम हो या डीटीएच, दोनो पर ही वही कारपोरेट कब्जा करने की दिशा में बढ़ेगी ही जिसने मीडिया हाउस को खरीदा। ध्यान दें तो यही हो रहा है यानी न्यूज चैनलो में क्या दिखाया जाये और किन माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाये जब इस पूरे बिजनेस को ही सत्ता के लिये चलाने की स्थिति बन जायेगी तो फिर मुनाफे के तरीके भी बदल जायेंगे। तब ये सवाल भी होगा कि सत्ता लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिये सीमित प्लेयर बना रही है। और सीमित प्लेयर उसकी हथेली पर रहे तो उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी।

यानी एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्लेयर से सौदेबाजी नहीं करनी होगी। दरअसल भारत का मीडिया इस दिशा में चला जाये इसके प्रयास तो खूब हो रहे हैं लेकिन क्या ये संभव है या फिर जिस तर्ज पर रशिया हुआ करता था या अभी कुछ हद तक चीन में सत्ता व्यवस्था है उसमें तो ये संभव है लेकिन भारत में कैसे संभव है ये मुश्किल सवाल जरुर है। क्योकि राजनीतिक तौर पर एकाधिकार की स्थिति में राजनीतिक सत्ता हमेशा आना चाहती रही है। ये अलग बात है कि मोदी सत्ता इसके चरम पर है लेकिन ऐसे हालात होगें तो खतरा तो ये भी होगा कि मेनस्ट्रीम मीडिया अपनी उपयोगिता या आवश्यकता को ही खो देगा क्योकि जनता से जुडे मुद्दे अगर सत्ता के लिये दरकिनार होते हैं तो फिर हालात ये भी बन सकते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया तो होगा लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। और तब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि कारपोरेट के मुनाफे का भी होगा। क्योंकि आज के हालात में ही जब मेनस्ट्रीम मीडिया अपनी उपयोगिता सत्ता के दबाव में धीरे– धीरे खो रहा है तो फिर धीरे– धीरे ये बिजनेस मॉडल भी धरधरा कर गिरेगा।

क्योंकि सत्ता भी तभी तक मीडिया हाउस पर कब्जा जमाये कारपोरेट को लाभ दे सकता है जबतक वह जनता में प्रभाव डालने की स्थिति में हो। और कडी का सबसे बडा सच तो ये भी है जब मेनस्ट्रीम मीडिया ही सत्ता को अपने सवालो या रिपोर्ट से पॉलिश करने की स्थिति में नहीं होगी तो फिर सत्ता की चमक भी धीरे धीरे लुप्त हो ही जायेगी। उसकी समझ भी खुद की असफलता की कहानीयों को सफल बताने वालों के ही इर्द–गिर्द घुमेगी।

उस परिस्थिति में मेनस्ट्रीम मीडिया की परिभाषा भी बदल जायेगी और उसके तौर तरीके भी बदल जायेगें। क्योंकि तब एक सुर में सत्ता के लिये गीत गाने वाले मीडिया का कारपोरेशन में ढहाने के लिये ऐसे कोई भी पत्रकारिय बोल मायने रखेगें जो जनता के शब्दों को जुबान दे सके और तब सत्ता भी ढहेगी और मीडिया पर कब्जा जमाये कारपोरेट भी ढहेगें। क्योंकि तब घाटा सिर्फ पूंजी का नही होगा बल्कि साख का होगा और अंबानी समूह चाहे अभी सचेत ना हो लेकिन जिस दिशा में देश को सियासत ले जा रही है और पहली बार ग्रामीण भारत के मुद्दे राष्ट्रीय फलक पर चुनावी जीत हार की दिशा में ले जा रहे है ... और पहली बार संकेत यही उभर रहे हैं कि सत्ता के बदलने पर देश का इकनॉमिक मॉडल भी बदलना होगा। यानी सिर्फ सत्ता का बदलना भर अब लोकतंत्र का खेल नहीं होगा बल्कि बदली हुई सत्ता को कामकाज के तरीके भी बदलने होंगे। यानी जो कारपोरेट आज मीडिया हाउस के जरिये मोदी सत्ता के अनुकुल ये सोच कर बने हैं कि कल सत्ता बदलने पर वह दूसरी सत्ता के साथ भी सौदेबाजी कर सकते है तो उनके लिये ये खतरे की घंटी है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

# गुजरात के बाद हिमाचल में सामने आया करोड़ों का जी एस टी घोटाला

## कारों- बाईकों पर ढ़ोया गया डेढ़ लाख का सामान

**शिमला/शैल।** गुजरात के बाद हिमाचल में कागजों में करोड़ों का जीएसटी घोटाला कर 15 करोड़ रुपए का जीएसटी हड़पने वाले सिरमौर के दो उद्योगपतियों को पांच दिन के रिमांड पर भेजा गया है। गुजरात के बाद हिमाचल में सामने आया यह घोटाला देश में दूसरा जीएसटी घोटाला है।

कालाअंब से गिरफ्तार किए गए दोनों उद्योगपतियों को आबकारी व कराधान विभाग के अधिकारियों ने इन दोनों कारोबारियों को कसौली में अतिरक्त मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया। एसीजेएम की अदालत ने इन दोनों को पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया। चूंकि आबकारी व कराधान विभाग की अपनी कोई हिरासत नहीं है ऐसे में इन्हें पुलिस लॉकअप में रखा गया है व आगामी पांच दिनों तक आबकारी विभाग के अधिकारी इन दोनों से पूछताछ करेंगे।

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों उद्योगपतियों ने बैटरी स्क्रैप को लीड इनगोटस में बदला व प्रदेश के कई डीलरों को बेच दिया। यह सब कुछ कागजों पर किया। इन्होंने कच्चे माल पर 18 फीसद जीएसटी अदा करने का दावा कर यह 18 फीसद जीएसटी सरकार से रिफंड ले लिया। इसके अलावा जिनको लीड इनगोटस बेचे उनसे 9 फीसद जीएसटी वसूलने का दावा किया। लीड इनगोटस पर 27 फीसद जीएसटी है। इनमें से 18 फीसद जीएसटी जिसे ये बेचे गए उसे अदा करना है व बाकी 9 फीसद बेचने वाले को अदा करना है। बेचने वाले का यह नौ फीसद रिफंड होना है। इन दोनों उद्योगपतियों ने यह नौ फीसद जीएसटी भी हड़प लिया।

मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अंकुश दास सूद ने कहा कि इस तरह इन दोनों ने सारा कारोबार कागजों में दिखा कर 15 से 18 करोड़ रुपए जेब में डाल लिए। इन दोनों ने जाली बिल तैयार कर यह करनामा किया।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन कारोबारियों का गेम प्लान यह था कि अगर कर विभाग इन पर जुर्माना लगाता हैं तो उसके खिलाफ बड़ा वकील कर मामले को अदालतों में उलझा दो व सुप्रीम कोर्ट तक मामले को 30-40 सालों तक लटका दो। तब तक मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ये कारोबारी ये भूल गए कि अगर धोखाधड़ी सामने आ जाती है तो जीएसटी अधिनियम के तहत जेल की सजा का प्रावधान है। अगर धोखाधड़ी पांच करोड़ से ज्यादा है तो अधिनियम में पांच साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। ये कारोबारी इसी प्रावधान के तहत दबोचे जा सके हैं।

दिलचस्प यह है कि यह सामान दिल्ली से कालाअंब तक कारों व बाइकों में लाया गया बताया गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सेब स्कूटरों व कारों में ढोए गए थे।

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपयों के कच्चे माल की खरीद दिल्ली के कारोबारियों से दिखाई। विभाग ने दिल्ली के इन कारोबारियों को चिटिठयां भेज कर सम्मन किया लेकिन चिटिठयां वापस आ गई । अधिकारियों ने तीन कारोबारियों का मौके पर जाकर पता लगाया लेकिन जहां के पते दिए गए गए थे वहां कोई नहीं था। बताए गए पते पर दो स्थानों पर किन्हीं और कारोबारियों की दुकानें पाई गई।

जबकि तीसरी जगह फर्मासियूटिकल कंपनी का कार्यालय था। इन उद्योगपतियों की ओर से जिन तीन कारोबारियों से ये खरीद दर्शाई गई थी उन्हें पैन कार्ड में दिए गए पते से ट्रैक किया गया।

इनमें से एक टैक्सी ड्राइवर पाया गया। यह तेरह हजार की मासिक वेतन पर काम कर रहा था। इन उद्योगपतियों ने जिस दूसरी फर्म का नाम बताया था,वह दूध की डेयरी में चार हजार वेतन लेने वाले कामगार पाया गया।

जबकि तीसरी फर्म का मालिक एक फैक्टरी में मजदूर पाया गया। कागजों में इन तीन लोगों से दो महीनों में साठ करोड़ रुपए की बिक्री दर्शाई गई थी।

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों ने शपथ पत्र देकर कहा है कि वह इन फर्मों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बेचा। कागजों में दिल्ली से कालाअंब के लिए ढुलाई को लेकर कई गाड़ियों की आवाजाही दर्शाई गई हैं। पड़ताल के बाद ये कारें व बाइक पाई गई। इनकी ओर से ट्रांसपोर्टरों की ओर से दी गई रसीदें भी जाली पाई गई।

इन उद्योगपतियों को गिरफ्तार करने वाले आबकारी व कराधान विभाग के दक्षिणी प्रवर्तन जोन के संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच में रूपिंदर सिंह इंस्पेक्टर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

# आईजीएमसी में टर्शरी कैंसर सैंटर का निर्माण हुआ लाल फीताशाही का शिकार

**शिमला/शैल।** राजधानी स्थित इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलिज में तीन साल पहले 45 करोड़ के निवेश से कन्द्रे ने टर्शरी कैंसर सैन्टर खोले जाने को स्वीकृति दी थी। इसके लिये 15 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी गयी थी जो आज तक बिना खर्च किये पड़ी हुई है। यह सैन्टर तीन साल में बनकर तैयार होना था। यदि ऐसा नही हो पाता है तो यह स्वीकृति 31 मार्च 2019 को समाप्त हो जायेगी और यह 45 करोड़ लैप्स हो जायेगा। अभी 2018 का दिसम्बर चल रहा है और इस सैन्टरके नाम पर अब तक एक ईट भी नहीं लग पायी है जब यह सेंटर स्वीकार हुआ था तब शिमला में एनजीटी की ओर से निर्माणों पर कोई प्रतिबन्ध नही था। लेकिन एनजीटी के फैसले के अनुसार ऐसे सरकारी निर्माणों को इस प्रतिबन्ध से बाहर रखा गया है जो आवश्यक और आपात सेवाओं के दायरे में आते हैं। इस तरह इस सैन्टर के निर्माण में एनजीटी के फैसले में कोई बाधा नही हैं केवल इस फैसले के तहत निर्माणों की स्वीकृति देने के लिये बनाई कमेटीयों के पास इसका प्रारूप जाना है। दुर्भाग्य है कि प्रदेश की अफसरशाही अभी तक इसके प्रारूप को इन कमेटीयों तक नही ले जा पायी है। दुर्भाग्य तो यह है कि प्रदेश की जयराम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार को 45 करोड़ से इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज में बनने वाले टर्शरी कैंसर सेंटर का स्टेटस ही नहीं पता है। जयराम सरकार को सत्ता में आए हुए एक साल हो गया लेकिन न तो मुख्यमंत्री व न ही मंत्री की अपने विभागों पर पकड़ बनी है।

राजधानी में प्रेस क्लब शिमला की ओर से आयोजित मीट द मीडिया कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री परमार से पूछा गया कि आइजीएमसी टर्शरी कैंसर सेंटर का निर्माण जयराम सरकार एक साल के कार्यकाल में क्यों शुरू नहीं कर पाई। परमार ने कहा कि इस मामले को मंजूरी के लिए एनजीटी को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर कोर एरिया में बन रहा है ऐसे में एनजीटी की इजाज़त लेनी जरूरी है। यह पूछने पर कि एनजीटी में सरकार की ओर से दायर अर्जी सुनवाई के लिए कब लगी है उन्होंने कहा कि सुपरवाइजरी कमेटी ने छः नवंबर को इस सेंटर को हरी झंडी दे दी है।

मंत्री परमार को इस टर्शरी कैंसर सेंटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहां तक जब मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी तो भी यह सेंटर एजेंडे में नहीं था।

जबकि सही तस्वीर यह है कि बड़ी जददोजहद के बाद इस मसले पर एनजीटी के फैसले के बाद मार्च में गठित इंप्लीमेंटेशन कमेटी की 2 नवंबर को हुई बैठक में इस मसले पर मौखिक चर्चा हुई थी। चूंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य के एजेंडे में यह महत्वपूर्ण सेंटर पिछले एक साल से है ही नहीं। ऐसे में दो नवंबर की बैठक में इस मसले को ले जाने के लिए औपचारिकताएं ही पूरी नहीं की जा सकी थी। इसके बाद तीन महीने में एक बार होने वाली सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक 13 नवंबर को रखी गइ थी। इस बैठक से पहले इस मसले को सर्कुलेशन से इंप्लीमेंटेशन कमेटी के सदस्यों को भेजा गया 13 नवंबर को सुपरवाइजरी कमेटी ने इस पांच मंजिलें सेंटर को बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन सिफारिश की कि स्वास्थ्य विभाग इस मसले को आखिरी मंजूरी के लिए एनजीटी के समक्ष ले जाए। लेकिन 13 नवंबर से लेकर अब तक कहीं कुछ नहीं हुआ है।

सुपरवाइजरी कमेटी की प्रोसीडिंग्ज अब निकलनी हैं। हालांकि सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य सचिव की ओर से मामला नगर निगम को भेजा गया है। अब यह मामला नगर निगम में लटका है। मामला आइजीएमसी तक नहीं पहुंचा है। यह मामला नगर निगम से आइजीएमसी के पास जाएगा व आइजीएमसी इसे सचिवालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य के पास एनजीटी के समक्ष उठाने को ले जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। आइजीएमसी के अधिकारियों ने माना कि मामला उनके पास नहीं आया है।

ऐसे में जयराम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गलत जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। असल में उन्हें इस मामले को लेकर कुछ पता ही नहीं है। हालांकि मीट द मीडिया में उन्होंने यह भरोसा जरूर दिया कि इस पैसे को लैप्स नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस सेंटर का काम शुरू नहीं हुआ तो यह पैसा 31 मार्च 2019 को लैप्स हो जाएगा। इस सेंटर को 15 करोड़ की किश्त तीन साल पहले आ चुकी है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस सेंटर को लटकाया व जयराम सरकार इसे तरजीह नहीं दे रही है। मार्च से लेकर अब तक सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। इंप्लीमेंटेशन कमेटी व सुपरवाइजरी कमेटी से भी यह मसला मीडिया के दखल के बाद आगे बढ़ा है।

# आईजीएमसी का सूरतेहाल मरीज आर्थो का और फिटनेस फॉरैन्सिक मैडिसन से

**शिमला/शैल।** शिमला के साय्यिकी विभाग में तैनात एक कनिष्ठ सहायक प्रेम ठाकुर द्वारा 55 दिन के मैडिकल अवकाश के बाद विभाग को सौंपा फिटनेस प्रमाणपत्र के बाद आईजीएमसी शिमला की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों में घिर गयी है। क्योंकि जब प्रेम ठाकुर ने यह स्वास्थ्य प्रणाम पत्र सौंपा तब विभाग में इसकी प्रमाणिकता को लेकर सवाल उठ गये। क्योंकि इसकी प्रमाणिकता को लेकर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष और महा सचिव तथा सदस्यों ने विजिलैन्स में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। विजिलैन्स के साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को भी यह शिकायत भेज दी। इस पर जब जांच शुरू हुई तक यह सामने आया कि जिस डा. राहुल गुप्ता ने यह फिटनेस जारी किया है वह आईजीएमसी में बतौर वरिष्ठ मैडिकल अधीक्षक तैनात ही नही है और इस कारण से वह यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकृत ही नही है। आईजीएमसी में वरिष्ठ मैडिकल अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार तो न्यूरो विभाग के सजून डा. जनक राज के पास है।

विजिलैन्स जांच में यह सवाल उठा कि प्रेम ठाकुर को जिस बीमारी के लिये स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किया है उसका संबंध तो आर्थो विभाग से है जबकि प्रमाणपत्र जारी करने वाला डा. राहुल गुप्ता तो फॉरैन्सिक विभाग में सहायक प्रोफैसर हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी बीमार को 14-21 दिन तक का ही रेस्ट दिया जा सकता है वह भी तब जब बीमार का ईलाज अस्पताल में वाकायदा दाखिल करके किया गया हो। लेकिन प्रेम ठाकुर तो एक दिन भी अस्पताल में दखिल नही रहे हैं। यही नही जांच के दौरान उनके पास अस्पताल की वह पर्ची भी उपलब्ध नही रही जिस पर दवाई और रेस्ट का विवरण रहा हो न ही वह उस डाक्टर को खोज पाये जिसने उन्हें देखा और रेस्ट लिखा हो। इसी दौरान यह भी सामने आया कि प्रेम ठाकुर ने 26-6-2014 को आईजीएमसी की एक पर्ची भी विभाग को सौंपी थी और इसमें उन्हें दिल का मरीज ''दिखाया गया था लेकिन उस पर्ची के मुताबिक जिस डाक्टर ने उन्हें दिल का मरीज घोषित किया था वह हृदय रोग के विभागाध्यक्ष के मुताबिक विभाग में तैनात ही नही था। इस तरह प्रेम ठाकुर द्वारा दोनों बार दिये गये आईजीएमसी के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सन्देह के घेरे में आ गये हैं।

जब आईजीएमसी द्वारा जारी इन स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों पर सवाल उठे तब इसको लेकर आईजीएमसी में भी एक जांच टीम गठित और इस टीम ने डा. राहुल गुप्ता को क्लीन चिट दे दी। प्रेम ठाकुर को जिस बीमारी के लिये 55 दिन का रेस्ट दिया गया है वह आर्थो से संबधित है लेकिन फिटनेस देने वाला डा. फारैन्सिक विशेषज्ञ है। आईजीएमसी के वष्ठिि मैडिकल अधीक्षक न्यूरो सर्जन है। इस नाते वह भी आर्थो के मरीज को फिटनेस देने के लिये कायदे से अधिकृत नही हो सकते। लेकिन इसके लिये आईजीएमसी में जो जांच टीम बनी उसमें एक तरह से वही डाक्टर शामिल किये गये जिनके खिलाफ प्रत्यक्षत: जांच होनी थी। यह जांच कायदे से प्रिंसिपल द्वारा की जानी चाहिये थी। वरिष्ठ मैडिकल अधीक्षक का पद पदोन्नती से भरा जाता है और इसके लिये ब्लॉक मैडिकल अफसरों की पात्रता रखी गयी है। लेकिन लम्बे अरसे से इस पद पर किसी भी विशेषज्ञ डाक्टर को अतिरिक्त कार्यभार देकर भर दिया जाता है। जबकि यह पद पूरी तरह प्रशासनिक है। आईजीएमसी में आरटीआई के तहत भी डाक्टर ही सूचना अधिकारी का काम कर रहे हैं जबकि यह काम प्रशासनिक अधिकारी या प्रिंसिपल का होना चाहिये। जब विशेषज्ञ डाक्टरों से प्रशासनिक काम लिया जायेगा तब यही होगा कि आर्थो के मरीज को फिटनेस न्यूरो सर्जन या फॉरैन्सिक मैडिसन वाले देंगे।